

किसान घोषणा एवं कम्पनी चयन फार्म

सरल आई.डी. गांव व जिला

आवेदक का नाम : पिता का नाम :

सोलर पम्प क्षमता : टाईप (ए.सी./डी.सी.) :

सबटाईप(सरफेस/सबमर्सीबल): कन्ट्रोलर (नॉर्मल/यूनिवर्सल):

कम्पनी का नाम 1. 2. 3.

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. मेरी भूमि पर बिजली पंप का कोई कनेक्शन नहीं है।
2. मेरे परिवार ने पूर्व में विभाग की योजना के तहत सोलर पंप स्थापित नहीं किया है।
3. मैं पम्प की कैपेसिटी अनुसार चयनित कम्पनीयों व उपभोक्ता देय राशि की सूचना विभाग की वेबसाइट www.hareda.gov.in पर उपलब्ध कम्पनीयों में से तीन का चयन अपनी प्राथमिकता के अनुसार करूंगा/ करूंगी। यदि मेरे द्वारा चयनित कम्पनी का चयन उसकी तय मासिक क्षमता से अधिक हो या उसका कार्यान्वयन क्षमतानुसार न हो तो विभाग मेरे द्वारा चयनित कम्पनी को बदलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. मैं सोलर पंप किसी को नहीं बेचूंगा/बेचूंगी और न ही विभाग की अनुमति के बिना सोलर पंप स्थापित जगह से स्थानांतरित करूंगा/करूंगी। अगर मैं ऐसा करता /करती हूँ तो विभाग पूरी अनुदान राशि मुझसे वापिस लेने और उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।
5. मेरी भूमि पर सोलर पंप स्थापित होने उपरांत भविष्य में मैं बिजली आधारित कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करूंगा /करूंगी
6. मैं सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली / भूमिगत पाइपलाईन अपने खेत में सोलर पंप लगने से पहले स्थापित करूंगा/करूंगी (यदि अभी तक नहीं लगाया है तो) अगर मैं ऐसा नहीं करता / करती हूँ तो विभाग पूरी अनुदान राशि मुझसे वापिस लेने और उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।
7. मैंने इस योजना के दिषा - निर्देश व तकनीकी जानकारी पढ़ व समझ ली है एवं उनका पालन करूंगा/ करूंगी।
8. मेरे द्वारा दी गई सूचना अगर गलत पाई जाती है तो विभाग अनुदान राशि वापिस लेने का हकदार होगा।
9. मेरे द्वारा अभी टेंडर कीमत के आधार पर जो लाभार्थी हिस्सा दिया जा रहा है, यदि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा बेंचमार्क लागत आधार पर कीमतें तय करने के पश्चात इसमें अन्तर आता है तो मैं उसको देने के लिए बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

दिनांक

मोबाइल.....

नोट:-

1. यदि कोई किसान के फर्जी हस्ताक्षर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि सी.एस.सी. केन्द्र/सरल केन्द्र/ कम्प्यूटर सेंटर फार्म भरते समय इस फार्म में भरी जानकारी के अलावा किसी अन्य कम्पनी का ऑनलाईन फार्म में चयन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
3. यदि किसान को कोई जानकारी लेनी है तो अपने जिले के परियोजना अधिकारी से सम्पर्क करे।
4. कम्पनीयों की क्षमतानुसार सूची व योजना के दिषा निर्देश व तकनीकी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.hareda.gov.in पर उपलब्ध है।
5. एक परिवार पहचान पत्र (PPP) पर एक ही सोलर पम्प का आवेदन कर सकते है।